जन सुनवाई कार्यवाही विवरण

श्री लादूराम पुत्र श्री त्रिलोकाराम जाट, प्रस्तावित खनन परियोजना (लाइम स्टोन) के खनन मय खनन् परियोजना, एम.एल नम्बर 42/1985 (45/1994 नया), क्षेत्रफल – 09 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 150000 टन प्रतिवर्ष (रोम), ग्राम– माडपुरा, तहसील – खींवसर, जिला – नागौर (राजस्थान) में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उपखण्ड अधिकारी डॉ धीरज कुमार सिंह के अवकाश पर जाने पर अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर द्वारा दिनांक 02.03.2023 को श्री रामनिवास मीणा, सहायक निदेशक, लोक सेवायें प्रशासनिक सुधार एवं समन्वयं विभाग, जिला नागौर को अतिरिक्त कार्यभार की जिम्मेदारी दी गयी थी। अतः जन सुनवाई श्री रामनिवास मीणा, सहायक निदेशक, लोक सेवायें प्रशासनिक सुधार एवं समन्वयं विभाग, जिला नागौर (अतिरिक्त कार्यभार उपखण्ड अधिकारी, खींवसर) की अध्यक्षता में दिनांक 09.03.2023 को दोपहर 02:00 बजे भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र (आई.टी.सेन्टर), गांव– माडपुरा, तहसील– खींवसर, जिला–नागौर (राजस्थान) में आयोजित जन सुनवाई की कार्यवाही **(Minutes)** का विवरण :–

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसरण में कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक न्याय/प्रदूषण/ज.सु.2023/349 दिनांक 16.01.2023 एवं क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल, नागौर के पत्र क्रमांक राप्रनिम/आरओ–नागौर/पी.यू.बी.– 148/2013 दिनांक 18.01.2023 के अनुपालना में श्री लादूराम पुत्र श्री त्रिलोकाराम जाट, प्रस्तावित खनन परियोजना (लाइम स्टोन) के खनन मय खनन् परियोजना, एम.एल नम्बर 42/1985 (45/1994 नया), क्षेत्रफल – 09 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 150000 टन प्रतिवर्ष (रोम), ग्राम– माडपुरा, तहसील – खींवसर, जिला – नागौर (राजस्थान) के खनन से सम्बन्धित जनसुनवाई दिनांक 09.03.2023 को आयोजित की गई। जन सुनवाई में उपस्थित सभी व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर **परिशिष्ट संख्या 01** पर संलग्न है। जनसुनवाई की आम सूचना दो स्थानीय समाचार पत्र दैनिक नवज्योति समाचार

पत्र एवं द इण्डियन एक्सप्रेस समाचार पत्र में दिनांक 21 जनवरी 2023 (शनिवार) को प्रकाशित की गई थी जिसकी प्रति **परिशिष्ट संख्या 02** पर संलग्न है।

जनसुनवाई के प्रारम्भ में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के क्षेत्रीय अधिकारी श्रीमती सविता ने सभी आंगतुकों का स्वागत किया। श्रीमान रामनिवास मीणा, सहायक निदेशक, लोक सेवायें प्रशासनिक सुधार एवं समन्वयं विभाग, नागौर की अनुमति से जनसुनवाई प्रारम्भ की गई।

श्रीमती सविता, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर ने जनसुनवाई के प्रावधान, उदेद्श्य एवं महत्व तथा प्रस्तावित परियोजना के बारे में जानकारी दी एवं परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी देने हेतु पर्यावरणीय सलाहकार को जनसुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामवासियों/व्यक्तियों को प्रस्तावित खनन परियोजना के बारे में विस्तार से अवगत कराने बाबत् आमंत्रित किया।

परियोजना प्रबंधक की ओर से खनन परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार वाईब्रेंट टेक्नो लेब प्राईवेट लिमिटेड, जयपुर के पर्यावरणीय सलाहकार श्री रवि कुमार के माध्यम से जनसुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामवासियों/व्यक्तियों को विस्तृत जानकारी दी। खनन परियोजना के सम्बन्ध में, कलस्टर प्रमाण पत्र एवं नक्शा जानकारी, परियोजना की स्थिति, लोकेशन मैप, खनन पट्टे की गूगल इमेजनरी, परियोजना की प्रमुख विशेषताएं, परियोजना का विवरण, क्षेत्र की पर्यावरणीय स्थिति का विवरण, परिवहनभार, पर्यावरण संरक्षण उपाय, खनन की समय सीमा समाप्ति पर भूमि का उपयोग, पर्यावरण प्रबंधन के साथ हरित पट्टिका का विकास, पर्यावरण प्रबंधन योजना (वायु, जल, ध्वनि, ठोस अपशिष्ठ गुणवत्ता प्रबंधन,) व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, श्रमिक कल्याण हेतु प्रस्तावित कार्य से संबंधित जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने बताया खनन योजना के दौरान ऑवर बर्डन के रूप निकलने वाले अपशिष्ट को अनुमोदित माइंनिंग प्लान के अनुसार इकट्ठा किया जायेगा एवं वृक्षारोपण द्वारा स्थिर किया जायेगा, साथ ही पर्यावरण संरक्षण की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित खनन परियोजना से होने वाले प्रदूषण, उसके प्रंबधन तथा मण्डल मानकों के अनुरूप

रोकथाम करने के प्रस्तावित प्रयासों से अवगत कराया। साथ ही वृक्षारोपण, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर.), व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के सम्बन्ध में भी जानकारी दी गई।

श्रीमती सविता, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर एवं श्रीमान रानिवास मीणा, सहायक निदेशक, लोक सेवायें प्रशासनिक सुधार एवं समन्वयं विभाग, नागौर की ओर से जनसुनवाई में उपस्थित लोगों को अपने विचार/आपत्ति सुझाव प्रकट करने के लिए आंमत्रित किया गया।

इसी क्रम में उक्त खनन परियोजना से संबंधित उपस्थित व्यक्तियों में से कुछ विचार मौखिक रूप से व्यक्त किये गये जो निम्न प्रकार है:–

1. श्री सुगना राम काकड़, पूर्व सरपंच माडपुरा के द्वारा बताया खनन परियोजना के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी गई तथा माईन्स को ई.सी. ना दी जाये।
2. योजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जनसुनवाई की आम सूचना दो स्थानीय समाचार पत्र दैनिक नवज्योति समाचार पत्र एवं द इण्डियन एक्सप्रेस समाचार पत्र में दिनांक 21 जनवरी 2023 (शनिवार) को प्रकाशित की गई थी तथा दिनांक 25.02.2023 को ग्राम माडपुरा एवं आस–पास के गांवों में जीप द्वारा बैनर लगाकर मुनादी करवायी गयी जिनकी फोटो एवं विडियों संलग्न है।
3. श्री सुरजाराम, ग्राम माडपुरा द्वारा बताया गया कि माईन्स के 100 मीटर दायरे में सरकारी अस्पताल, आंगनबाड़ी केन्द्र, सरकारी विद्यालय, सरकारी राशन की दुकान एवं ग्रामीणों के घर है।
4. श्री बाबुलाल, सरपंच प्रतिनिधि, दुजासर ने बताया कि एसडीएम साहब आप मौका मुआवना करें जिसमें आप पायेगें कि 500 से 100 मीटर के अन्दर आस–पास आबादी क्षेत्र, सरकारी अस्पताल, सरकारी विद्यालय एवं पानी की टंकी है।
5. श्री धन्नाराम, ग्राम माडपुरा ने बताया कि सरकारी अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र है।
6. श्री रामचन्द्र, ग्राम माडपुरा ने बताया कि क्या पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए क्या यह भीड पर्याप्त है जबकि गांव की आबादी लगभग 7000 है उसके अनुरूप नहीं है।

7. श्रीमान रानिवास मीणा, सहायक निदेशक, लोक सेवायें प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग, नागौर ने बताया कि आपके अनुरूप ही निर्णय लिया जायेगा, आप जो बोलोगें वहीं लिखा जायेगा एवं आगे प्रेषित कर दिया जायेगा। आपको जो भी आपत्ति/सुझाव है वो आप लोग एक प्रार्थना पत्र लिखकर सभी के हस्ताक्षर करवाकर दे दिजियें।
8. श्री रामचन्द्र, ग्राम माडपुरा ने बताया कि वर्ष 2006 में एम डब्ल्यू माईन्स एवं अन्य माईन्सों की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए जन सुनवाई हुई थी। जिसमें वृक्षारोपण, ईएसआर, सीएसआर एवं श्रमिकों के लिए अनेक प्रावधान बताये गये थे जिनकी पालना आज तक नहीं हुई है। यहां खनन होने से यहां गांव के लोगों को सिलिकोसिस एवं अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है ना कि बाहर के लोगों को।
9. श्री बाबुलाल, सरपंच प्रतिनिधि, दुजासर ने बताया कि खनन पट्टे 100 मीटर के दायरें में राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है।
10. श्री रामचन्द्र, ग्राम माडपुरा ने बताया कि खनन परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि 10 किलोमीटर के दायरें में कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। जबकि खनन पट्टे से 100 मीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग है। वर्ष 1984 में जब खनन पट्टा स्वीकृत हुआ था तब खनन कार्य मेन्यूअल पद्धति से होता था जिससे धूल के कण नहीं उड़ते थे ब्लास्टींग नहीं होती थी तथा आबादी एवं अन्य सार्वजनिक स्थान पास में नहीं थे। अब जो माईनिंग होगी उसमें भारी मशीनों का उपयोग किया जाता है। जिससे आस–पास के सार्वजनिक स्थल का नुकसान होगा एवं धूल के कण ज्यादा उड़ेगें जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगें। यदि यहां पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जाती है तो सभी को समस्या होगी। मानवता के नाम पर सोचें और इस खनन पट्टे को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान नहीं की जाये।
11. श्री सुरजा राम, ग्राम माडपुरा ने बताया कि माडपुरा ग्राम पंचायत के लोगों को आपत्ति यह है कि खनन पट्टे को पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने से क्षेत्र में ट्यूवेल को नुकसान होगा, पाने के टाके का नुकसान होगा एवं आस–पास में बने हुए मकानों में दरारे आयेगी। खनन के दौरान जो बड़े गढ्ढे बनेगें उनको खुला छोडने से आस–पास में विचरण करने वाले पशु उनमें गिरने की आंशका रहेगी।

12. योजना प्रस्ताव के द्वारा बताया गया कि खनन के दौरान ब्लास्टिंग नहीं की जायेगी। यदि ब्लास्टिंग की आवश्यकता होती है तो डीजीएमएस की अनुमति से तथा उनके नियमों के अनुरूप की जायेगी एवं भारी मशीनरी का उपयोग नहीं किया जायेगा तथा खनन कार्य के दौरान बनाये गये पीटो के चारो ओर तारबन्दी की जायेगी, हर वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति की पालना में वृक्षारोपण किया जायेगा।
13. श्री रामचन्द्र, ग्राम माडपुरा ने बताया कि हमारी तरफ से ना है और ये माईन्स चालू नहीं होनी चाहिए।
14. श्रीमान रानिवास मीणा, सहायक निदेशक, लोक सेवायें प्रशासनिक सुधार एवं समन्वयं विभाग, नागौर ने बताया कि आपके अनुरूप ही निर्णय लिया जायेगा, आप जो बोलोगें वहीं लिखा जायेगा एवं आगे प्रेषित कर दिया जायेगा तथा आज जो भी यहां पर जो बोला गया है उसकी प्रतिलिपि एवं विडियों ग्राम पंचायत, जिला परिषद, एसडीम कार्यालय में भेजी जायेगी। वहां से आप देख सकते है।

जनसनुवाई से पहले, दौरान एवं जनसुनवाई के पश्चात उक्त खनन परियोजना से संबंधित 03 सुझाव/अभ्यावेदन/प्रार्थना पत्र लिखित में प्राप्त हुए है। जिनकी प्रतिलिपि संलग्न है।

अंत में क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जनसुनवाई के दौरान ग्रामवासियों/व्यक्तियों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद के साथ श्रीमान रानिवास मीणा, सहायक निदेशक, लोक सेवायें प्रशासनिक सुधार एवं समन्वयं विभाग, नागौर की अनुमति से पर्यावरणीय जनसुनवाई की समाप्ति की घोषणा के साथ जन–सुनवाई की कार्यवाही सम्पन्न की गई।

श्रीमान रामनिवास मीणा
सहायक निदेशक, लोक सेवायें
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वयं विभाग,
खींवसर, जिला नागौर

श्रीमती सविता
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल नागौर,
(राज.)

उपस्थिति पत्रक

ग्राम, गांव–माडपुरा, तहसील – खींवसर, जिला – नागौर के "लाईमस्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट एम. एल. नं. – 42/1985 (45/1994 कुल अनुमानित उत्पादन क्षमता 1,50,000 टन प्रतिवर्ष (रोम) (विक्रय योग्य खनिज 1,35,000 टन प्रतिवर्ष एवं वेस्ट–15,000 टन प्रतिवर्ष), क्षेत्रफल 9.0 हैक्टेयर की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई ।

स्थान :– भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र (आई.टी.सेन्टर), गॉव–माडपुरा, तहसील–खीवंसर, जिला–नागौर

जिला :– नागौर।

दिनांक :– 09.03.2023

समय :– प्रातः 11:00 बजे से

क्र.स.	नाम व पता	मोबाईल नम्बर	हस्ताक्षर
1.	Savita, Regional Officer, RSPCB, Nagaur	99834-11222	Savita
2.	Ramniwas Meena SDO Khinwsar	9928153176	[signature]
3.	Tejraj Gaur, Assistant Environmental Engg. RSPCB, Nagaur	9549820647	[signature]
4.	Shivdayal Godara (Consultant)	9549956601	शिवदयाल
5.	Ravi Kumar [Vibrant Techno Lab Pvt. Ltd.]	8005729139	Ravi Kumar
6.	Vijay Puri	9828860607	[signature]
7.	भंवरी सरपंच आईपुरा	9950498228	
8.	खेतुराम सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत माडपुरा	9698043694	[signature]
9.	लादूराम	9982626007	लादूराम
10.	खेनाराम		
11.	Krishnam. Sangwan	9898577176	[signature]
12.	ओमाराम	9672937270	ओमाराम
13.	राजुराम	9773009079	राजुराम
14.	मुकेश, इनाणा, खींवसर, नागौर	9680697121	मुकेश

उपस्थिति पत्रक

श्रीमान उपखंड अधि
खींवसर

श्री लादूराम, गांव–माडपुरा, तहसील – खींवसर, जिला – नागौर के "लाईमस्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट एम. एल. नं. – 42 / 1985 नया), कुल अनुमानित उत्पादन क्षमता 1,50,000 टन प्रतिवर्ष (रोम) (विक्रय योग्य खनिज 1,35,000 टन प्रतिवर्ष एवं वेस्ट–15,000 टन प्रतिवर्ष, – 9.0 हैक्टेयर की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई ।

स्थान :– भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र (आई.टी.सेन्टर), गॉव–माडपुरा, तहसील–खींवसर, जिला–नागौर

जिला :– नागौर।

दिनांक :– 09.03.2023

समय :– प्रातः 11:00 बजे से

15.	सवाईराम	7976498161	[illegible] जार
16.	पुनाराम		पुनाराम
17.	सुल्तानराम	9950785547	मु[illegible]
18.	अमरसिंह भोजू TDR	6377646161	[illegible]
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			

पं. — 42 / 1985
—15,000 टन प्रतिवर्ष

(7)

(1)

दिनांक:-09.03.2023

श्रीमान उपखंड अधिकारी

खींवसर (नागौर)

R.O.
09/3/2023

विषय :-पर्यावरणीय स्वीकृति खनन परियोजना हेतु आपत्ति दर्ज करने बाबत |

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत नम्र निवदेन हैं कि एम.एल.न.-42/1985(45/1994R) श्री लादूराम पुत्र श्री तिरलोकराम खसरा संख्या 380,गांव-दुजासर,ग्राम पं. माडपुरा तहसील खींवसर जिला नागौर जिसकी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये जनसुनवाई आज दिनांक 09.03.2023 को ग्राम पंचायत मुख्यालय पर रखी गई हैं |

निम्न आपत्तियां दर्ज करने बाबत :-

1. **माइंस के 100 मीटर दायरे में सरकारी हॉस्पिटल**:-पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने के बाद पास में ही हॉस्पिटल में ईलाज करवाने आने वाली गर्भवती/धात्री/किशोरियों व बड़े बुजर्गो को बहुत समस्या होगी |हमेशा खतरा बना रहेगा |
2. **माइंस के 100 मीटर दायरे में आगंनवाडी केंद्र** :- 3-6 वर्ष के नन्ने-मुन्ने बच्चों को रोज केंद्र आना पड़ रहा हैं वह माइंस चालू होने के बाद हमेशा खतरे में आ जायेगे उनकी शाला पूर्ण शिक्षा से वंछित हो जायेगे |
3. **माइंस के 100 मीटर दायरे में सरकारी स्कुल** -पर्यावरणीय स्वीकृति के बाद बच्चों की पढाई पूरी तरह से प्रभावित होगी व बड़ी लोडिंग गाडियाँ चलने की वजह से नन्हे बच्चों के ऊपर रोज खतरा मंडराया हुवा रहेगा | स्कुल के पास ब्लास्टिंग होने से अत्याधिक प्रदूषण होगा |
4. **माइंस के 100 मीटर दायरे में सरकारी राशन दूकान** :-इस दूकान पर प्रति दिन ग्रामीणों का आना-जाना रहेता हैं जिससे ग्रामीण बहुत ज्यादा प्रदूषण होने की वजह से हमेशा परेशानी बनी रहेगी |
5. **माइंस के 100 मीटर दायरे में सरकारी समुदायक समाज भवन** :-समाज के कार्यक्रम हमेशा होते रहेते हैं उसमें भी समस्या बनी रहेगी |
6. **माइंस के 100 मीटर दायरे में ग्रामीणों के घर** :- पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने के बाद ग्रामीणों का जीवन यापन बहुत कठिन हो जायेगा,आदमी की मूल-भूत जरुरत रोटी,कपड़ा,मकान होती हैं उसमें प्रदूषण से लोगो की जमीन खेती करने योग्य नहीं रहे पायेगी व मकान ब्लास्टिंग से कमजोर हो जायेगे |
7. वेस्ट (OB) व गाड़ियों की पीसी हुई डस्ट से सिलिकोसिस जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती हैं |
8. आवागमन की सड़के जो ग्राम पंचायत व PWD द्वारा ग्रामीण लोगो की सुविधा के लिये बनाई हुई हैं उसको भी हेवी वाहनों के आवागमन होने से ख़राब किया जायेगा जिससे ग्रामीणों को बड़ी दिखत होगी |
9. लीज मालिक के द्वारा पर्यावरण को बचाने के लिये अभी तक कभी भी वृक्षारोपण नहीं करवाया हैं |
10. लीज चारों और से खुली पडी हैं जिससे पशु व जन हानि कभी भी हो सकती हैं |

उपरोक्त सभी आपत्तियों पर विचार-विमर्श करते हुए कार्य पर रोक लगवाकर हमें राहत प्रदान करे |

धन्यवाद

(8)

1.जिला कलक्टर नागौर

2.सीईओ जिला परिषद् नागौर

3.तहसीलदार खींवसर

4.ग्राम पंचायत माडपुरा

5.जिला रसद अधिकारी,नागौर

6.महिला एवं बाल विकास विभाग,खींवसर

7.मुख्य चिकित्सा अधिकारी,नागौर

8.शिक्षा अधिकारी,नागौर

9.क्षेत्रीय अधिकारी,राजस्थान राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, किशनगढ़

10. वन विभाग ,नागौर

भवदीय

सुरजाराम पुत्र श्री पीराराम जाति-जाट

Mob-9610406005

(9) दिनांक:-09.03.2023 (2)

श्रीमान उपखंड अधिकारी

खींवसर (नागौर)

R.O.
09/3/2023

विषय :-पर्यावरणीय स्वीकृति खनन परियोजना हेतु आपत्ति दर्ज करने बाबत ।

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत नम्र निवदेन हैं कि श्री लादूराम पुत्र श्री तिरलोकराम खसरा नं 380,गांव-दुजासर,ग्राम पं. माडपुरा तहसील खींवसर जिला नागौर जिसकी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये जिसमें मेरे द्वारा दर्ज करवाई गई आपत्तियों के अनुसार कार्य करने पर रोक लगवाने हेतु ।

- हर वर्ष कम से कम 500 वर्क्षारोपन माइंस मालिक के द्वारा किया जाये ।
- 100 मीटर दायरे में सरकारी स्कुल हैं बच्चों की पढाई प्रभावित होगी ।
- 100 मीटर दायरे में सरकारी हॉस्पिटल हैं जहाँ पर आने वाले ग्रामीण लोगो को तकलीफ होगी ।
- ब्लास्टिंग साइलेंट वाली होनी चाहिये ।
- समय-समय पर पानी का छिडकाव व ग्रामीण सडको को माइंस मालिक द्वारा रिपेयरिग करना सुनिश्चित करावे ।
- प्रति वर्ष जितना माल निकाला जाता हैं यानि रोयल्टी का कम से कम 10रूपया प्रति टन ग्रामीण विकास पर खर्च करना सुनिश्चित करावे ।
- हर वर्ष प्रदुषण विभाग द्वारा बड़ी मशीन लगवाकर प्रदूषण से संबधित जॉच करवाना सुनिश्चित करावे ।
- जहाँ तक ग्रामीणों को रोजगार व लोकल गाडी मालिकों को रोजगार प्रदान किया जाये ।
- पर्यावरण को बचाने के लिये ग्रामीणों लोगो की समय-समय पर खनिज मालिक द्वारा जनसुनवाई रखना सुनिश्चित करावे ।
- लीज के चारों और चार दिवारी निकलवाकर कार्य शुरू करना सुनिश्चित करावे ।
- लीज मालिक द्वारा सरकारी जमींन के नियमानुसार जगह छोड़ कर खनन करना सुनिश्चित करावे ।

=> उपरोक्त खसरा में अन्य उद्योग लगवाने पर, पाबंदी कार्रवाई करें।

भवदीय सुगनाराम 9.3.2023
6378051693

सुगनाराम काकड पुत्र श्री चोखाराम काकड

जाति-जाट,निवासी दुजासर

पाबूराम
हुकमाराम
मोहन
सुखाराम
Sujaram
मगाराम
तुलाराम

(3)

(10)

दिनांक:-09.03.2023

श्रीमान उपखंड अधिकारी

खींवसर (नागौर)

R.O.
09/3/2023

विषय :-पर्यावरणीय स्वीकृति खनन परियोजना हेतु आपत्ति दर्ज करने बाबत |

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत नम्र निवदेन हैं कि एम.एल.न.-42/1985(45/1994R) श्री लादूराम पुत्र श्री तिरलोकराम खसरा संख्या 380,गांव-दुजासर,ग्राम पं. माडपुरा तहसील खींवसर जिला नागौर जिसकी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये जनसुनवाई आज दिनांक 09.03.2023 को ग्राम पंचायत मुख्यालय पर रखी गई हैं |

निम्न आपत्तियां दर्ज करने बाबत :-

1. **माइंस के 100 मीटर दायरे में सरकारी हॉस्पिटल**:-पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने के बाद पास में ही हॉस्पिटल में ईलाज करवाने आने वाली गर्भवती/धात्री/किशोरियों व बड़े बुजर्गो को बहुत समस्या होगी |हमेशा खतरा बना रहेगा |
2. **माइंस के 100 मीटर दायरे में आगंनवाडी केंद्र** :- 3-6 वर्ष के नन्ने-मुन्ने बच्चों को रोज केंद्र आना पड रहा हैं वह माइंस चालू होने के बाद हमेशा खतरे में आ जायेगे उनकी शाला पूर्ण शिक्षा से वंछित हो जायेगे |
3. **माइंस के 100 मीटर दायरे में सरकारी स्कुल** -पर्यावरणीय स्वीकृति के बाद बच्चों की पढाई पूरी तरह से प्रभावित होगी व बड़ी लोडिंग गाडियाँ चलने की वजह से नन्हे बच्चों के ऊपर रोज खतरा मंडराया हुवा रहेगा | स्कुल के पास ब्लास्टिंग होने से अत्याधिक प्रदूषण होगा |
4. **माइंस के 100 मीटर दायरे में सरकारी राशन दूकान** :-इस दूकान पर प्रति दिन ग्रामीणों का आना-जाना रहेता हैं जिससे ग्रामीण बहुत ज्यादा प्रदूषण होने की वजह से हमेशा परेशानी बनी रहेगी |
5. **माइंस के 100 मीटर दायरे में सरकारी समुदायक समाज भवन** :-समाज के कार्यक्रम हमेशा होते रहेते हैं उसमें भी समस्या बनी रहेगी | आबादी भूमि जिसका खसरा नं 675/378 है
6. **माइंस के 100 मीटर दायरे में ग्रामीणों के घर** :- पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने के बाद ग्रामीणों का जीवन यापन बहुत कठिन हो जायेगा,आदमी की मूल-भूत जरुरत रोटी,कपड़ा,मकान होती हैं उसमें प्रदूषण से लोगो की जमीन खेती करने योग्य नहीं रहे पायेगी व मकान ब्लास्टिंग से कमजोर हो जायेगे |
7. वेस्ट (OB) व गाड़ियों की पीसी हुई डस्ट से सिलिकोसिस जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती हैं |
8. आवागमन की सड़के जो ग्राम पंचायत व PWD द्वारा ग्रामीण लोगो की सुविधा के लिये बनाई हुई हैं उसको भी हेवी वाहनों के आवागमन होने से खराब किया जायेगा जिससे ग्रामीणों को बड़ी दिखत होगी |
9. लीज मालिक के द्वारा पर्यावरण को बचाने के लिये अभी तक कभी भी वृक्षारोपण नहीं करवाया हैं |
10. लीज चारों और से खुली पड़ी हैं जिससे पशु व जन हानि कभी भी हो सकती हैं |
11. राज्य मार्ग 100 मीटर से ज्यादा दूरी पर नहीं है।

उपरोक्त सभी आपत्तियों पर विचार-विमर्श करते हुए कार्य पर रोक लगवाकर हमें राहत प्रदान करे |

12. किसानों की नजदीक बोरवेल है। उसको भी नुकसान होगा।

धन्यवाद

..जिला कलक्टर नागौर

2.सीईओ जिला परिषद् नागौर

3.तहसीलदार खींवसर

4.ग्राम पंचायत माडपुरा

5.जिला रसद अधिकारी,नागौर

6.महिला एवं बाल विकास विभाग,खींवसर

7.मुख्य चिकित्सा अधिकारी,नागौर

8.शिक्षा अधिकारी,नागौर

9.क्षेत्रीय अधिकारी,राजस्थान राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, किशनगढ़

10. वन विभाग ,नागौर

भवदीय

~~[illegible]~~

समस्त ग्रामवासी
माडपुरा

कार्यालय जिला कलक्टर नागौर

क्रमांक प.1(सी)( )संस्था / 2023 / 518　　　　　　　　　　　　　　　दिनांक 02/3/2023

आदेश

डॉ. धीरज कुमार सिंह (आईएएस), उपखण्ड अधिकारी, खींवसर के स्वय के आवेदन पर दिनांक 04.03.2023 से 12.03.2023 तक तीन दिन का अवकाश व उक्त अवधि में राजकीय अवकाश में निर्देशानुसार मुख्यालय छोड़ने की अनुमति भी प्रदान की जाती हैं।

उपखण्ड अधिकारी, खींवसर के अवकाश के दौरान श्री रामनिवास मीणा, सहायक निदेशक, लोक सेवाएं प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग, नागौर द्वारा अपने पद के कार्य के साथ–साथ उपखण्ड अधिकारी खींवसर का अतिरिक्त कार्यभार भी सम्पादित करेगें।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अति.जिला कलक्टर,
नागौर

क्रमांक सम / 519　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांक 02/3/2023

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. डॉ. धीरज कुमार सिंह (आईएएस), उपखण्ड अधिकारी, खींवसर
2. श्री रामनिवास मीणा, सहायक निदेशक, लोक सेवाएं प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग, नागौर
3. तहसीलदार, खींवसर
4. अति.निजी सचिव, जिला कलक्टर, नागौर
5. निजी सहायक ग्रेड–I, अति.जिला कलक्टर, नागौर
6. संरक्षित पत्रावली

अति.जिला कलक्टर
नागौर

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

[illegible]

सदस्य सचिव (अधि.), क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

[illegible]

सदस्य सचिव (अधि.), क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

[illegible]

सदस्य सचिव (अधि.), क्षेत्रीय अधिकारी

SYMBOLIC POSSESSION NOTICE

ICICI Bank Branch Office: ICICI Bank Ltd. 3rd Floor, Plot No. 21, New Rohtak Road, Karol Bagh, Delhi - 110005

Whereas

The undersigned being the Authorized Officer of ICICI Bank Limited under the Securitisation, Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) rules 2002, issued demand notices upon the borrowers mentioned below, to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice.

As the borrower failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken Symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/ her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on the below mentioned dates. The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of ICICI Bank Limited.

Sr. No.	Name of the Borrower/ Loan Account Number	Description of Property/ Date of Symbolic Possession	Date of Demand Notice/ Amount in Demand Notice (Rs.)	Name of Branch
1.	Sonia Rani, Yogesh Rani, [illegible]	Flat No 201, 2nd Floor, Tower- Daffodils, Block E, Omaxe Enclave, Omaxe Panorama City, Homes Bhiwadi/ January 17, 2023	June 19, 2021 Rs. [illegible]	Delhi-NCR (Bhiwadi)

The above-mentioned borrowers(s)/ guarantors(s) are hereby given a 30 days notice to repay the amount, else the mortgaged properties will be sold on the expiry of 30 days from the date of publication of this Notice, as per the provisions under the Rules 8 and 9 of Security Interest (Enforcement) Rules 2002.

Date : January 21, 2023
Place : Bhiwadi

Authorized Officer
ICICI Bank Limited

Varthana Finance Private Limited

(Formerly known as M/s. Thirumeni Finance Private Ltd.)

Registered Office at : No. SBC-118, Varasiddhi, 3rd Floor, Outer Ring Road, Service Road, 3rd Block, HRBR Layout, Kalyan Nagar, Bangalore-560043. Website www.varthana.com, Email [illegible] Branch Office: Office No - 1st Floor, "Shri Vinayak", A 136, Abhaiya Vikas Yojana, Akhaliya Circle, Chopasni Road, Jodhpur 342003

PUBLIC NOTICE FOR AUCTION FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY

Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with Rule 8(6) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. [illegible] "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" basis [illegible]

Name of The Borrowers/Mortgagors: [illegible]

Loan A/c. No. [illegible]

Details of Total Outstanding Amount in Rupees: [illegible]

Details of Immovable Property: [illegible]

Reserve Price of above Property will be Rs. [illegible] and the Earnest Money Deposit will be (EMD 10% of Reserve Price) Rs. [illegible]

Known encumbrances, if any: Nil

[illegible]

The Auction will be held at : M/s. Varthana Finance Pvt. Ltd. Office No - 1st Floor, "Shri Vinayak", A 136, Abhaiya Vikas Yojana, Akhaliya Circle, Chopasni Road, Jodhpur 342003, [illegible]

For detailed terms and conditions of the Sale, please refer to the link provided in Company's website i.e. www.varthana.com

The prospective bidders may contact the Authorised Officer [illegible]

Date: 21-01-2023 Place: Bangalore

Authorised Officer, Varthana Finance Private Limited

pnb Circle Sastra Centre, 3rd Floor, LIC Building, Sub City Centre, Rati Stand, Udaipur, Rajasthan, Phone: 0294 - [illegible], E-Mail: [illegible]

DEMAND NOTICE – 13(2) UNDER SARFAESI ACT, 2002

[illegible]

Name & Address of the Borrowers/Guarantor	Details of Property Secured Assets/ Address of Secured Assets to be Enforced	Date of Notice 13(2)	Amount outstanding (Notice 13(2))
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

Date: [illegible]
Place: Udaipur

Authorised Officer
Punjab National Bank

RBL BANK LIMITED

RBL BANK

[illegible]

PUBLICATION OF NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF THE SARFAESI ACT, 2002

[illegible]

Place: Jaipur Date: 21.01.2023

Authorised Officer
RBL Bank Ltd.

ADITYA BIRLA HOUSING FINANCE LIMITED

ADITYA BIRLA CAPITAL

Registered Office: Indian Rayon Compound, Veraval, Gujarat - 362266
Branch Office: [illegible]

DEMAND NOTICE

(under Rule 3 (1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002)

SUBSTITUTED SERVICE OF NOTICE U/s 13 (2) of SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002

[illegible]

S. No.	Name and Address Borrower/ Co-Borrower and Guarantor / Co-Guarantor & Loan A/C No.	NPA Date	Date of Demand Notice	Amount due as per Demand Notice / as on Date
1.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

Date: 21.01.2023
Place: JAIPUR

Sd/- Authorised Officer
(Aditya Birla Housing Finance Limited)

INDIAN OVERSEAS BANK

Asset Recovery Management Branch [illegible]

E Auction on 10.02.2023

PUBLIC NOTICE FOR E-AUCTION FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES MORTGAGED TO THE BANK UNDER THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002

[illegible] "AS IS WHERE IS BASIS", "AS IS WHAT IS BASIS" AND "WHATEVER THERE IS BASIS" [illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

WITHDRAWAL OF PUBLICATION DATED 12.01.2023

This is to inform that the Publication of 13(2) notice of the SARFAESI Act in respect of mortgaged Property(ies) being RESIDENTIAL HOUSE CONSTRUCTED ON PATTA NO [illegible] SITUATED AT BARMER TOWN, MOHLLA JAIN [illegible] BARMER, RAJASTHAN, COMPRISING OF BASEMENT, GROUND FLOOR AND FIRST FLOOR ADMEASURING [illegible] SQ. FT [illegible] published on 12.01.2023 in Newspapers INDIAN EXPRESS – JAIPUR COVERS BARMER – (ENGLISH EDITION) and DAINIK NAVJYOTI – JODHPUR COVERS BARMER – (HINDI EDITION) stands withdrawn with immediate effect, without prejudice to the rights of the undersigned.

Sd/-
[illegible]

Place: BARMER

Suchitra Finance & Trading Company Ltd.

[illegible]

NOTICE OF THE EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION

[illegible]

Rajasthan Tourism Development Corporation Limited

[illegible]

Notice Inviting Bid

[illegible]

KERALA WATER AUTHORITY e-Tender Notice

[illegible]

FINAL NOTICE TO APPEAR IN ARBITRATION PROCEEDINGS

[illegible]

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

[illegible]

सदस्य सचिव (अधि.), क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

[illegible]

सदस्य सचिव (अधि.), क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

[illegible]

सदस्य सचिव (अधि.), क्षेत्रीय अधिकारी

गौचर भूमि के अतिक्रमी काबिज

ग्रामीणों ने एसडीएम व तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

बैठक में अतिक्रमण चिह्नित कर हटाने का निर्णय

कम्प्यूटर ऑपरेटर संघ ने की नियमित करने की मांग

128 युवाओं ने किया रक्तदान

शिविर में 128 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया।

हेलीकॉप्टर से भूगर्भ सर्वेक्षण बना कौतूहल

पशु चिकित्सालय में सर्जिकल कक्ष का उद्घाटन

पशु कल्याण पखवाड़ा के तहत एस्केड पशुपालन शिविर का आयोजन

शिविर का उद्घाटन करते उपनिदेशक।

नि:शुल्क हृदय रोग जांच एवं परामर्श शिविर कल

सार समाचार

मनरेगा प्रदेश उपाध्यक्ष नेहरा का किया स्वागत

कुश्ती महासंघ अध्यक्ष पर कार्रवाई की मांग

चिरंजीवी योजना करें शत प्रतिशत पंजीयन

उपनिदेशक ने सीडीपीओ कार्यालय का किया निरीक्षण

नगर परिषद ने निकाली लॉटरी; 19 आवेदकों को मिली दुकानें

लॉटरी प्रक्रिया के लिए 21 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 19 आवेदन पात्र पाये गये।

टूटी नालियों पर सीमेंट से लीपा-पोती

गुणवत्ता को लेकर लोगों ने उठाए सवाल

ठेकेदार कर रहे मनमानी

इनका कहना है

नाम परिवर्तन

✓ मेरे पुत्र के पासपोर्ट L3637... में उसका नाम LUMINA MOYAL व उसके पिता का नाम SALIM KHAN MOYAL दर्ज है। जबकि उसका सही नाम LUMINA KHAN व पिता का नाम SALIM KHAN है। ... जिला नागौर, राजस्थान।

✓ मेरे पुत्र के पासपोर्ट L363767... में उसका नाम SHAHID MOYAL व उसके पिता का नाम SALIM KHAN MOYAL दर्ज है। जबकि उसका सही नाम SHAHID KHAN व पिता का नाम SALIM KHAN है। ... जिला नागौर, राजस्थान।

जन्म तिथि परिवर्तन

प्रमाणित किया जाता है कि ... जिला नागौर की वास्तविक जन्म दिनांक 15.06.2006 है।

धार्मिक व सेवा कार्यों के साथ मनाया जन्मदिन

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

कार्यालय ग्राम पंचायत करजालिया पंचायत समिति आसीन्द, भीलवाड़ा

इस पंचायत द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

... www.sppp.rajasthan.gov.in द्वारा जानी जा सकती है।

ई मित्र एक्सप्रेस

लाइराम